न्यायालय उप जिला कलेक्टर बाड़ी जिला-धौलो

प्रकरण सं० 243/2018

प्रा० पत्र: दिनांक 01-4-2019

प्रा० पत्र निर्णय दिनांक 28-01-2020

उनवान

1, रोशन, 2, रेखा, 3, आशा पुत्र/पुत्री श्री भागीलाल ब्राह्मण निवासी देवास तह० बाड़ी, जिला-धौलो :- वादीगण

बनाम

1. खैराती S/o रामनिवास
2- भागीलाल पु० खैराती
3. अनिल, (4) गिर्राज, (5) मुकेश, (6) पप्पू, (7) गीता (8) उषा
9. कलावती (10) छोटी पुत्र/पुत्रीगण खैराती, जाति ब्राह्मण निवासी देवास तह० बाड़ी

1- तहसीलदार बाड़ी
2- उप पंजीयन अधिकारी बाड़ी तह० बाड़ी

:- प्रतिवादीगण.

" प्रार्थना पत्र अधीन 7 नियम 11 व धारा 151 जा० दी० "
दिनांक 01-04-2019

प्रार्थी खैराती पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी देवास तहसील बाड़ी जिला-धौलो ने आ०पत्र अधीन 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० दिनांक 01-04-2019 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा भूमि कास्त ख० नं० 68, 69, 70 स्थित ग्राम देवास तहसील बाड़ी का वाद प्रस्तुत कर उद्घोषणा चाही वादीगण द्वारा वाद पत्र के पैरा सं० 3 मे वर्णित किया है कि भूमि खातेदारी भूमि है जो पैतृक है जिसके तनाजिया प्रतिवादी सं० 1 की उद्घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है लेकिन इस बाबत पत्रावली मे या वाद पत्र मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया

Cont.

Scanned with CamScanner

में ही उनका कथन किया। जिस दस्तावेजात पर दावा प्रस्तुत किया है वे सिर्फ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है स्वामी व अधिकारी है तथा उक्त भूमि से वादीगण व अन्य किसी प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा जब उक्त भूमि में स्वयं वादीगण के पिता मांगीलाल का ही कोई हक अधिकार नहीं है तो वादीगण को कानून अधिकार नहीं होता। प्रा० पत्र के साथ में विक्रय पत्र वक्युमेंट बहक खैराती जिताक ... व छाया प्रति नामान्तरण कमली बेवा मूल्यां बहक खैराती जिताक छाया प्रति वादी वकील 03-06-1993 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रा०पत्र की प्रति वादी वकील को को उपलब्ध करवाई है व प्रा०पत्र शामिल वाद कर वास्ते जवाब वादी वकील को तारीख पेशी नियत की गई। वहस वादी वकील द्वारा जवाब प्रा०पत्र प्रस्तुत नहीं कर. बहस प्रा०पत्र की गई।

वकील वादी ने बहस में बताया कि वाद में वर्णित सम्पत्ती वादी के दादा की सम्पत्ती है जिसमें उनका अधिकार है। प्रार्थी/प्रतिवादी वाद को खारिज घोषणा कराने के अधिकारी हो। प्रार्थी पैतृक सम्पत्ती वकील द्वारा बहस में बताया गया कि वादी द्वारा पैतृक सम्पत्ती भूमि मुतनाजिया बाबत कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये, भूमि स्वअर्जित सम्पत्ती है स्वयं प्रतिवादी/प्रा०पत्र प्रार्थी की पैतृक नहीं है स्वअर्जित सम्पत्ती है। प्रतिवादी के प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र, नामान्तरण छाया प्रति के अवलोकन करने की ओर ध्यान आकर्षण किया, इसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना व दस्तावेज भूमि के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र नामान्तरण का अवलोकन किया, जिसके अनुसार भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ती होना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा भूमि मुतनाजा पैतृक होने बाबत कोई कथन/दस्तावेजात पत्रावली वाद में प्रस्तुत नहीं किये। इन तरह उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रतिवादी का प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रतिवादी/प्रार्थी खैराती पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी-... द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद उद्घोषणा, खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण बावत भूमि ख०नं० 68, 69, 70 ग्राम देवाड़ा तहसील गिर्वा जिला-उदयपुर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है, फाइल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(पिंकी मीणा R.A.S.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2020.02.22 21:33:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: